सर्वाधिक महत्वपूर्ण नियम और शर्तें (एमआइटीसी)

(आवास ऋण और आवास इक्विटि ऋण)

आवेदन संख्या : **उत्पाद का प्रकार :** **समझौते की तिथि:____________________**

उधारकर्ता और सह उधारकर्ता:

1

2 ____

3**अन्य,**____

ऊपर दिये गये उधारकर्ता और सभी सह-उधारकर्ताओं और सेवा गृह ऋण लिमिटेड (एसजीआरएल) (आवासीय वित्त कंपनी) के बीच होने वाले समझौते के संदर्भ में महत्वपूर्ण नियम और शर्तें

1. ऋण का विवरण

स्वीकृत ऋण राशि	Rupees ` ____________________ ( `______________________**मात्र)**
ऋण का उद्देश्य / ऋण की राशि का इच्छित उपयोग	
ब्याज की दर	________% सालाना ब्याज ____________________________ **%प्रति वर्ष**
ब्याज की दर के प्रकार	
ऋण की अवधि	**माह**
(फ्लोटिंग रेट वाले ऋण के मामले में एसजीआरएल की खुदरा उधार दरों में परिवर्तन से ऋण की अवधि में परिवर्तन हो सकता है)	
समान मासिक किस्त (इएमआइ):	`_______________(`___________________________________ **मात्र)**
इएमआइ की तय तिथि	**अगले माह की 1 तारीख**
चेक प्रस्तुत करने की तिथि	**हर महीने की 10 तारीख**
पूर्व-इएमआइ (मात्र साधारण ब्याज)	**किश्त वितरण की अवधि के दौरान शुल्क की राशि@________%सालाना**
(मासिक ब्याज जब तक कि पूरा/संपूर्ण ऋण जारी नहीं किया जाता)	
ब्याज रिसेट करने की तिथि	**ब्याज रिसेट की आवृति समय-समय पर एसजीआरएल तय करेगा।** ब्याज की **दर एसजीआरएल, ग्राहक और उत्पाद के प्रकार, एसजीआरएल की अपनी आंतरिक नीतियों में परिवर्तन और बाजार के मौजूदा हालात, और नियामक प्राधिकार दवारा जारी दिशा निर्देशों ध्यान में रख कर तय करेगा। ब्याज दर में किसी भी प्रकार का परिवर्तन एसजीआरएल अपनी वेबसाइट या एसएमएस/ई-मेल आदि के माध्यम के जरिये स्थानीय भाषा में अधिसूचित करेगा।**
इस ऋण पर लागू कोई भी अधिस्थगन या सब्सिडी	**हां/नहीं**

2. शुल्क और दूसरे अधिभार :

- स्टैम्प पेपर का खर्च, ऋण के लिए आवश्यक नोटोराइजेशन का खर्च, ऋण समझौते के लिए आवश्यक तैयारी या ऋण समझौते के अनुसार ऋण राशि के वितरण में होने वाला खर्च उधारकर्ता और/या उधारकर्ताओं द्वारा वहन किया जाएगा। तकनीकी शुल्क, कानूनी शुल्क, प्रलेखन शुल्क/पीडीडी प्रोसेसिंग शुल्क के अतिरिक्त लिया जाएगा।
- आपके ऋण की किश्त प्राप्त नहीं होने की स्थिति में अगर कोई कानूनी कार्रवाई होती है तो उधारकर्ताओं को सेवा गृह ऋण लिमिटेड द्वारा इस संबंध में किये गये खर्च का वहन करना होगा।
- कृपया एसजीआरएल को किये गये सभी भुगतान की रसीद प्राप्त कर सहेज लें।
- अद्यतन नियम और शर्तों के लिए कृपया बेवसाइट देखें

आप हमारे शाखा कार्यालय में ग्राहक सेवा अधिकारी से भी संपर्क कर सकते हैं

शुल्क और अधिभार

a. नीचे दिये गये शुल्क और अधिभार में परिवर्तन कये जा सकते हैं और इसका एकमात्र अधिकार एसजीआरएल के पास होगा और शुल्क में किसी भी प्रकार के परिवर्तन की सूचना ग्राहक को वेबसाइट पर अद्यतन–की गयी जानकारी से मिल जाएगी।

b. सभी उल्लिखित शुल्क जीएसटी के अतिरिक्त हैं।

	विवरण/शीर्ष	शुल्क और अधिभार		विवरण
1	प्रारंभिक जमा राशि(आइएमडी): लॉग-इन शुल्क	अधिभार @ `2000/-(दो हजार मात्र) ऋण की राशि जब `10 लाख तक हो अधिभार @ `3000/- (` तीन हजार मात्र) ऋण की राशि जब रू 10 लाख से अधिक हो	आइएमडी आवेदन करते समय देय होगा। आइएमडी एक बार जमा की जाने वाली राशि है जो एसजीआरएल द्वारा ली जाएगी। आवेदन की सोर्सिंग और ऋण आवेदन के साथ लगने वाले कागजात को उधारकर्ता के घर से एकत्र करने का खर्च इसमें शामिल होगा।	
2	प्रोसेसिंग शुल्क (पीएफ):	आवास ऋण : `................/- तक स्वीकृत राशि `…/- लाख या @ 2% स्वीकृत राशि या उससे ऊपर के लिए `……/- लाख	पीएफ मंजूरी के समय देय होगा। पीएएफ मूल्यांकन और राशि जारी करने के लिए लिया जाता है जिसमें एसजीआरएल द्वारा किये गये ऋण के मूल्यांकन जैसे फील्ड जांच, फ्रॉड की जांच, कानूनी और सर्च तकनीकी रिपोर्ट आदि के खर्च शामिल हैं। पीएफ की राशि ऋण की राशि जारी करने के बाद लौटायी जा सकती है बशर्ते कि इसके लिए नियत किये गये अधिकारी से इसकी सहमति ली जाए। यह मूल्यांकन के लिए किये गये खर्च को घटाने और ऋण आवेदन के मूल्यांकन के बाद किया जायेगा।	
		होम इक्विटी (एलएपी): ` /-स्वीकृत राशि लाख रूपये तक		

सेवा गृह ऋण लिमिटेड पंजीकृत कार्यालय.: 1ली मंजिल , 216/सी-12, ओल्ड नंबर. सी-12, प्लॉट नंबर 13-बी, गुरुनानक पुरा, लक्ष्मी नगर, दिल्ली -110092 फोन +911143521832 जीएसटी 07AAQCS0870H1Z2	कारपोरेट कार्यालय: बिल्डिंग नंबर 8, टावर सी, 8वीं मंजिल, डीएलएफ साइबर सिटी गुरुग्राम -122002 फोन +911244271750 जीएसटी 06AAQCS0870HIZ4	वेबसाइट: sgrlimited.in टॉलफ्री : 1800 11 3909 ईमेल: contact@sgrllimited.in	सीआइएन: U65923DL2011PLC222491

Sitara
A SEWA INITIATIVE

शुल्क और अधिभार				
a. नीचे दिये गये शुल्क और अधिभार में परिवर्तन हो सकता है और परिवर्तन करने का एकमात्र अधिकार एसजीआरएल का होगा, किसी भी अधिभार में परिवर्तन की सूचना ग्राहक को कंपनी की वेबसाइट पर अद्यतन की गयी जानकारी से मिल जाएगी। b. सभी उल्लिखित शुल्क जीएसटी के अतिरिक्त हैं				
		या @ 2.5% मंजूर की गई राशि ` लाख से अधिक हो		
3	डिसऑनर या चेक बाउंस शुल्क प्रति लेनदेन/ इसीएस/एसीएच/डीडीएम	शुल्क @ `300/-(तीन सौ रुपये मात्र) प्रति इंस्ट्रूमेंट, प्रति डिसऑनर	चेक/इसीएस/एसीएच/डीडीएम के डिसऑनर होने पर देय राशि चेक/इसीएस/एसीएच/डीडीएम या उधारकर्ता/सह-उधारकर्ताओं या दोनों द्वारा किसी दूसरे बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट के बैंक द्वारा डिसऑनर होने पर	
4	ऋण पूर्व भुगतान शुल्क पूर्व भुगतान राशि पर (ऋण के पूर्व भुगतान के समय देय)	ब्याज का प्रकार	उद्देश्य/के जरिये प्रीपेड या प्री क्लोज	अधिभार (जीएसटी को छोड़कर (कृपया नीचे दी गई टिप्पणी देखें)
		फ्लोटिंग दर	आवासीय ऋण/गैर-आवासीय ऋण व्यक्तिगत उधारकर्ताओं को, यदि अंतिम उपयोग व्यवसायिक उद्देश्य के लिए नहीं है	"कोई" शुल्क नहीं
		फ्लोटिंग दर	सभी प्रकार के ऋण जिनका अंतिम उपयोग व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए है या जहां उधारकर्ता व्यक्ति नहीं है	4% भुगतान की गई ऋण राशि पर
		तय दर	आवास ऋण प्रीपेड/पी-क्लोज उधारकर्ता के अपने स्रोतों द्वारा	"कोई" शुल्क नहीं
		तय दर	आवास ऋण प्रीपेड/प्री-क्लोज दूसरे स्रोतों द्वारा या गैर आवासीय ऋण किसी दूसरे उद्देश्य के लिए	4% भुगतान की गई ऋण राशि पर
		नोट : 1. अभिव्यक्ति "अपने स्रोतों" यहां अर्थ रखता है कोई भी स्रोत जो बैंक/एचएफसी/एनबीसी और किसी वित्तीय संस्थान से उधार ली गई राशि से अलग हो 2. सभी डुअल/ विशेष दर (तय और फ्लोटिंग का मिला हुआ) आवासीय ऋण पर प्री-क्लोजर मापदंड लागू होंगे, तय और फ्लोटिंग दर इस बात पर निर्भर करेंगे कि प्री-क्लोजर के समय ऋण तय दर पर है या फ्लोटिंग दर पर। डुअल/आवास ऋण के विशेष दर प्री क्लोजर के मापदंड लागू होंगे और एक बार जब ऋण को फ्लोटिंग ऋण में बदल दिया गया हो। तो फ्लोटिंग दर लागू होंगे। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि ऋण की तय दर वह दर है जहां ऋण की संपूर्ण अवधि के लिए इसे तय किया जाता है		
5	प्रति किश्त अधिभार और तय तिथि के बाद देर से किये गये भुगतान/इएमआइ का देर से भुगतान	शुल्क @ 2 % प्रतिमाह	यदि सेवा गृह ऋण लिमिटेड द्वारा मासिक किश्त नहीं प्राप्त की जाती तो तय तिथि या उसके पूर्व देर से भुगतान अधिभार शुल्क @ 2% प्रति माह (कर अतिरिक्त) राशि देय होगी जो उस तारीख तक बकाया है।	
6	ग्राहक के यहां जाकर (घर/ऑफिस या अनुरोध किये गये किसी अन्य स्थान या संग्रह केंद्र) से अधिभार की वसूली	अधिभार शुल्क @ `250/-(दो सौ पचास रुपये मात्र) प्रति दौरा	उधारकर्ता के अनुरोध पर सेवा गृह ऋण लिमिटेड के कर्मचारी किश्त की राशि ग्राहक के घर या कार्यालय या दूसरे उपयुक्त/संग्रह केंद्र से जाकर एकत्र कर सकते हैं ऋण की किश्त घर/ऑफिस या अनुरोध किये गये किसी अन्य स्थान या संग्रह केंद्र से एकत्र करने का शुल्क 250/- होगा जो संग्रह किये जानेवाली किश्त की राशि के साथ वसूली जाती है ।	

Sitara
A SEWA INITIATIVE

शुल्क और अधिभार			
a) नीचे दिये गये शुल्क और अधिभार में परिवर्तन हो सकता है और परिवर्तन करने का एकमात्र अधिकार एसजीआरएल का होगा, किसी भी अधिभार में परिवर्तन की सूचना ग्राहक को कंपनी की वेबसाइट पर अद्यतन की गयी सूचनाओं के जरिये दी जाएगी b) सभी उल्लिखित शुल्क जीएसटी के अतिरिक्त हैं			
7	दस्तावेज के लिए शुल्क (छायाप्रति)	अधिभार @ `500/-(पांच सौ रुपये मात्र)	मूल दस्तावेज प्राप्त करने के आपके आवेदन और सेवा गृह ऋण लिमिटेड के पास मोर्टगेज (गिरवी) रखे गये आपकी संपत्ति के कागजात की छायाप्रति या शाखा के किसी अधिकृत व्यक्ति के सामने कागजात देखने पर `500 का शुल्क लागू होगा।
8	एलओडी (एसजीआरएल में जमा किये गये दस्तावेज की सूची) की पुन: प्राप्ति का शुल्क/डुप्लीकेट प्रति	अधिभार @ `2000/-(दो हजार रुपये मात्र)	आपके दस्तावेज की सूची (एलओडी) की डुब्लिकेट प्रति प्राप्त करने के लिए यानि संपत्ति के कागजात की सूची मोर्टगेज के लिए और एसजीआरएल में जमा किये गये दूसरे दस्तावेज के लिए प्रति एलओडी `2000 रुपये (दो हजार मात्र) का शुल्क लिया जाएगा।
9	हर ऋण परिशोधन की अनुसूचि/खाते का स्टेटमेंट	अधिभार @ `2000/-(दो हजार रुपये मात्र)	उधारकर्ता को अपने ऋण खाते पर खाता का वक्तव्य (स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट) हर वर्ष प्राप्त करने का अधिकार होगा। उधारकर्ता को अगर ऋण से जुड़े अतिरिक्त खाता वक्तव्य (स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट) की आवश्यकता होती है या ऋणमुक्ति अनुसूची या ऋण भुगतान/खाता बंदी (क्लोजर) की आवश्यकता होती है तो प्रति वक्तव्य (स्टेटमेंट) `2000 रुपये (दो हजार रुपये मात्र) का शुल्क देय होगा।
10	कोईबकाया नहीं प्रतिलिपि/डुप्लीकेट एनओसी	अधिभार @ `500/-(पांच सौ रुपये मात्र)	उधारकर्ता के अनुरोध पर शाखा से डुप्लिकेट अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी)/कोई बकाया नहीं प्रमाण पत्र जारी किया जा सकता है इसका शुल्क `500 रुपये (पांच सौ रुपये मात्र) लिया जाएगा।
11	बैंक खाता बदलने का शुल्क	अधिभार @ `500/-(पांच सौ रुपये मात्र)	उधारकर्ता के अनुरोध पर एसजीआरएल किसी वर्तमान ऋण बैंक खाते से उसकी बदली कर सकता है यह सुविधा `500 रुपये देकर उठायी जा सकती है (ये शुल्क वहां नहीं लागू होंगे जहां a पुनर्भुगतान मोड पीडीसी से एनएसीएच में बदला गया है और b गैर सीटीएस से सीटीएस बैंक या गैर एमआइसीआर से एमआसीआर क्लियरिंग में बदला गया है)
12	तकनीकी शुल्क	अधिभार @ 1000/- (एक हजार रुपये मात्र) पांच लाख से ऊपर की ऋण राशि पर अधिभार @ 1500/- (एक हजार पांच सौ रुपये मात्र) 5 लाख से 10 लाख की ऋण राशि के लिए अधिभार @2000/- (दो हजार रुपये मात्र) 10 लाख से ज्यादा की ऋण राशि के लिए	तकनीकी शुल्क, प्रोसेसिंग शुल्क के अतिरिक्त लिया जाएगा।
13	कानूनी शुल्क	अधिभार @ 1000/- (एक हजार रुपये मात्र)	कानूनी शुल्क, प्रोसेसिंग शुल्क के अतिरिक्त लिया जाएगा

शुल्क और अधिभार			
a) नीचे दिये गये शुल्क और अधिभार में परिवर्तन हो सकता है और परिवर्तन करने का एकमात्र अधिकार एसजीआरएल का होगा, किसी भी अधिभार में परिवर्तन की सूचना ग्राहक को कंपनी की वेबसाइट पर अद्यतन किये गये सूचनाओं के जरिये दी जाएगी b) सभी उल्लिखित शुल्क जीएसटी के अतिरिक्त हैं			
		अधिभार @ `1500/- (एक हजार पांच सौ रुपये मात्र) 5 लाख से 10 लाख की ऋण राशि के लिए अधिभार @ ` 2000/- (दो हजार रुपये मात्र) 10 लाख से अधिक ऋण राशि के लिए	
14	दस्तावेज शुल्क/ पीडीडी	अधिभार @ `500/- (पांच सौ रुपये मात्र) 10 लाख से अधिक ऋण राशि पर अधिभार @1000/- (एक हजार रुपये मात्र) 10 लाख से ऊपर और ज्यादा ऋण राशि के लिए	उल्लिखित दस्तावेज शुल्क प्रोसिसंग शुल्क के अतिरक्त लिया जाएगा
15	कनवर्सन शुल्क	बकाया राशि का 2%	अगर ग्राहक स्थिर ब्याज दर से फ्लोटिंग ब्याज दर अपनाना चाहता है तो बकाया राशि पर 2% की दर से शुल्क लिया जाएगा

3. आपके ऋण की सुरक्षा

- आपकी संपत्ति ______________________________________ कंपनी के पास तबतक गिरवी (मोरगेज) रखी जाएगी (पहले शुल्क भुगतान आधार पर) जब तक ऋण की राशि का भुगतान पूरा नहीं हो जाता अपेक्षा की जाती है कि संपत्ति से जुड़े दस्तावेज की मूल प्रति/फोटोकॉपी कंपनी की आवश्यकता के अनुसार जांच करें
- व्यक्तिगत गारंटी उपलब्ध करायी गयी ______________________________________
- दूसरी जमानत का विवरण, अगर कोई हो______________________________________

4. ऋण की राशि जारी करने की शर्तें : नीचे दी गयी शर्तों को पूरा करने के बाद ही ऋण की राशि जारी की जा सकेगी :

- एसजीआरएल मंजूरी पत्र/ऋण समझौते में वर्णित सभी आवश्यक दस्तावेज
- संपत्ति का कानूनी और तकनीकी मूल्यांकन
- उधारकर्ता द्वारा अपने हिस्से की अदायगी (ऋण की राशि और ग्राहक/उधारकर्ता के कुल खर्च का अंतर)
- ग्राहक से हर वचन लेना कि वह कोलैटरल सिक्युरिटिज/संपत्ति से जुड़े से बकाया राशि/कर/ड्यूटी की जानकारी नि एसजीआरएल को नियमित देता रहेगा
- अधिकृत क्षेत्र जहां यह निर्माण किया जा रहा है, वह लागू कानूनों के अनुकूल है और निर्माण के लिए आवश्यक अनुमति ले ली गयी है या उधारकर्ता/डेवलपर - दोनों ने इसके लिए आवेदन कर दिया है
- मंजूरी पत्र, गृह ऋण समझौता, कानूनी और तकनीकी रिपोर्ट और इन पहलुओं से जुड़े आवश्यक अन्य नियम और शर्तें

- जब तक ऋण की राशि उधारकर्ता के खाते में स्थानांतिरत नहीं की जाती तब कर ऋण देने या रद करने का अधिकार एसजीआरएल के पास सुरक्षित रहेगा आगे एसजीआरएल के पास यह भी अधिकार होगा कि वह उधारकर्ता की ऋण अदायगी के प्रदर्शन को क्रेडिट इनफारमेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और अन्य एजेंसियों के साथ साझा कर सके

5. बीमा से संबंधत सूचना

- हमारी यह सलाह होगी कि आप सेवा गृह ऋण लिमिटेड (एसजीआरएल) के पास गिरवी (मोर्टगेज) संपत्ति के लिए ऋण की संपूर्ण अवधि के लिए समुचित बीमा कवर ले लें जिसकी राशि ऋण की राशि के बराबर हो और उसे सेवा गृह ऋण लिमिटेड के नाम कर दें जहां संपत्ति को बीमित किया गया है उस बीमा एजेंसी का नाम प्रकट करें और उसे सेवा गृह ऋण लिमिटेड के नाम करें बीमा कवर का मूल्य और दूसरे नियम शर्ते :
- बीमा आग्रह का विषय है

6. सब्सिडी :

- हमें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आने वाले क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम (सीएलएसएस) के बारे में सूचित किया गया है हम समझते हैं कि इस योजना से हम कवर हैं/कवर नहीं हैं अगर हम कवर हैं तो सरकार सब्सिडी कार्यक्रम के लागू नियमों के अनुसार हमें लाभ देगी हम यह भी समझते हैं कि हमें इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा जारी नियमों के तहत ही कवर किया जाएगा सा गृह ऋण लिमिटेड का इस पर कोई नियंत्रण नहीं होगा
- क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम (सीएलएसएस) पीएमएवाइ से सब्सिडी की राशि प्राप्त करने के बाद मेरे देय मासिक किस्त में कटौती इसका आवश्यक पहलू है इस कटौती के बाद लागू नियमों और शर्तों के साथ नयी अनुसूची में प्रेषित की जाएगी और उसकी तस्दीक करायी जाएगी

  सब्सिडी हासिल करने का एक मुख्य पहलू यह है कि डिफाल्ट करने की स्थिति में लाभुक को एसजीआर के संपूर्ण बकाया राशि का भुगतान करना होगा एसजीआरएल के पहली अनुसूची के अनुसार मंजूर की राशि और उधारकर्ता/लाभुक की भुगतान की गयी राशि पर इसकी गणना की जाएगी इसलिए एसजीआरएल की बकाया राशि और सरकारी सब्सिडी लाभुक/उधारकर्ता से वसूल की जाएगी

7. ऋण की राशि का पुनर्भुगतान और ब्याज

- साधारण ब्याज, जारी की गयी ऋण राशि पर पूर्व इएमआइ के रूप में साधारण ब्याज के रूप में पूर्व-इएमआइ राशि ली जाएगी
- ऋण की राशि भुगतान_________________माह में रुपये____(रुपये

  ________________________________ मात्र) /- के समान मसिक किस्त में की जएगी इस किस्त की शुरुआत ऋण की राशि के पूर्ण भुगतान के बाद अगले माह से शुरू हो जाएगी
- भविष्य में ब्याज दर में अगर कोई परिवर्तन होता है तो इसक सूचना आपको समुचित तरीके से पत्र/कॉल के जरिये दी जाएगी इसकी सूचना आप सेवा गृह ऋण लिमिटेड की शाखा को देंगे ताकि उसके अनुसार किस्त की राशि की भुगतान अवधि में परिवर्तन के किया जा सके
- आपके एसजीआरएल ऋण पर .... तयशुदा तिथि को

8. बचे हुए किस्तों की रिकवरी प्रक्रिया का सार

- आपको फोन से या आपके मोबाइल नंबर पर एसएमएस कर बैंक याद दिला सकता है कि अपने खाते में पर्याप्त राशि जमा करें जिससे आपके इएमआइ का भुगतान किया जा सके
- आपके द्वारा उपलब्ध कराये गये बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट अगर अमान्य (डिजॉनर) होता है तो आपके मोबाइल नंबर पर इसकी सूचना दी जाएगी आपको तय राशि, चेक (इंस्ट्रूमेंट) डिजॉनर शुल्क के साथ सेवा गृह ऋण लिमिटेड की शाखा में जमा करानी होगी कंपनी के कर्मचारी आपके घर से राशि एकत्र कर सकते हैं
- अगर आप नियत समय में कुल बकाया राशि का भुगतान नहीं करते तो सेवा गृह ऋण लिमिटेड को, दोनों पक्षों के बीच हुए ऋण समझौते और आय सुरक्षा दस्तावेज में 3 लिखित प्रावधानों के अनुसार समुचित कानूनी कार्रवाई करने का अधिकार होगा मामले को देखते हुए कानूनी कार्रवाई जैसे उधारकर्ता/सह उधारकर्ताओं पर धारा 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट अधिनियम और/या SARFAESI की कार्रवाई शुरू की जाएगी आपकी संपत्ति जो गिरवी (मोर्टगेज) रखी है उसे अधिकृत किया जा सकता है और/या आगे उसकी बिक्री की जा सकती है जिससे ऋण की राशि की रिकवरी की जा सके यह कार्रवाई कानून के अनुसार कोर्ट के फैसले या संबंधित न्यायायिक अधिकारी के निर्देश के अनुसार की जाएंगी

9. आनेवाले वित्तीय वर्षकी पहली तिमाही मेंवार्षिक बकाया राशि का स्टेटमेंट उधारकर्ता के लिए जारी किया जाएगा,

10. संचार का तरीका .... पोस्ट/एसएमएस/ईमेल

11. ऋण की अवधि के दौरान ग्राहक सेवा

a) ऑफिस में मिलने का समय– कार्य दिवस में 10:00 बजे दिन से 6:00 बजे शाम तक

b) अपने ऋण के विषय में आप शाखा के ग्राहक सेवा अधकारी से संपर्क कर सकते हैं

12. दूसरी शर्तें:

- ऋण की अवधि के दौरान, उधारकर्ता एकत्र कर सकता है
  - निर्दिष्ट शुल्क के भुगतान की तिथि से 15 दिनों के अंदर ग्राहक सेवा अधिकारी से अपने ऋण खाते से संबंधित विवरण (स्टेटमेंट)
  - फोर क्लोजर लेटर के प्रोसेस का समय और दस्तावेज सूची (एलओडी) की प्रोसेस करने की अवधि 30 कार्य दिवस है
  - एसजीआरएल के पास मोर्टगेज के लिए रखे गये उधारकर्ता की संपत्ति स्वामित्व के दस्तावेज की छायाप्रति/उधारकर्ता को लिखित अनुरोध पत्र और निर्धारित शुल्क के भुगतान के बाद देना होगा, उधारकर्ता 15 कार्य दिवस के अंदर शाखा कार्यालय से निर्धारित शुल्क के भुगतान के बाद दस्तावेज की छायाप्रति प्राप्त कर सकता है
  - एसजीआरएल के बैंक खाते में पूरी बकाया राशि के भुगतान के बाद सभी क्लोज्ड/परिपक्व ऋण के दस्तावेज की मूल प्रति 30 कार्य दिवस के अंदर लौटा दी जाएगी इन मूल प्रतियों को जहां से ऋण जारी हुआ है या उस शाखा कार्यालय और बैंक की शाखाओं की जानकारी के लिए लिए बैंक की वेबसाइट पर दी गयी अद्यतन सूचना देखें
- हमारी शाखाओं का पता जानने के लिए हमारी वेवसाइट देखी जा सकती है
- एमआइटीसी एसजीआरएल क्रेडिट नीति का एकअविभाज्य हिस्सा है

13. शिकायत निवारण प्रक्रिया

शिकायत की स्थिति में पहला कदम होगा कंपनी द्वारा नियुक्त शिकायत निवारण अधिकारी (जीआरओ) के पास शिकायत दर्ज कराना ग्राहक टॉल फ्री नंबर पर जीआरओ से बात कर सकते हैं या जीआरओ को मेल कर सकते हैं जीआरओ का विवरण नीचे दिया गया है:

सुश्री सुनिला स्वेता मिंज
शिकायत निवारण
अधिकारी (जीआरओ)
पंजीकृत कार्यालय:
प्रथम तल्ला, 216/सी-12,
पुराना नंबर सी-12,
प्लॉट नंबर 13-बी,
लक्ष्मी नगर
दिल्ली-110092
फोन : 011-43252-1832
कॉरपोरेट कार्यालय
बिल्डिंग संख्या 8,
टावर सी, आठवां तल्ला
डीएलएफ साइबर सिटी
गुरुग्राम-122002
फोन : 0124-4271-750
ई-मेल : swetam@sgrlimitedin/ complaints@sgrlimitedin
टॉल फ्री नंबर: 1800113909

14. अगर ग्राहक के हिसाब से शिकायत का संतोषप्रद समाधान नहीं होता तो इस विषय को आगे कंपनी के मुख्य व्यवसाय अधिकारी के पास ले जाया जा सकता है

श्री शैलेंद्र कुमार गुप्ता
मुख्य व्यवसाय अधिकारी
पंजीकृत कार्यालय:
प्रथम तल्ला, 216/**सी**-12,
पुराना नंबर सी-12,
प्लॉट नंबर 13-**बी,**
लक्ष्मी नगर
दिल्ली-110092
फोन : 011-43252-1832
कॉरपोरेट कार्यालय
बिल्डिंग संख्या 8,
टावर सी, आठवां तल्ला
डीएलएफ साइबर सिटी
गुरुग्राम-122002
फोन : 0124-4271-750
ई-मेल : Shailendrag@sgrlimitedin

शिकायत को पंजीकृत कर लेने के बाद शिकायत निवारण अधिकारी (जीआरओ) उसकी प्राप्ति/अपना उत्तर शिकायत के एक सप्ताह के अंदर यूनिक शिकायत आइडी नंबर ग्राहक को इस अनुरोध के साथ उपलब्ध करायेंगे कि आगे की जानेवाली सभी शिकायतों/पत्राचार में इस यूनिक शिकायत आइडी नंबर का उल्लेख किया जाये शिकायत प्राप्ति पत्र में जीआरओ का विवरण होगा अगर शिकायत फोन से कंपनी के हेल्प डेस्क या ग्राहक सेवा नंबर से की जाती है तो उधारकर्ता को शिकायत की संदर्भ संख्या उपलब्ध करायी जाएगी और समुचित अवधि में शिकायत निवारण की दिशा में क्या प्रगति हुई इसकी सूचना दी जाएगी शिकायत की जांच के बाद कंपनी उधारकर्ता को अधिक से अधिक 6 सप्ताह में अपना अंतिम उत्तर उपलब्ध कराएगी यह अवधि शिकायत के प्रकार/ग्राहक के अनुरोध को ध्यान में रखते हुए तय किया जाएगा अगर अधिक समय की आवश्यकता होती है तो अंतरिम तौर पर कंपनी ग्राहक को एक संभावित टाइमलाइन उपब्ध कराएगी और उन्हें यह भी सूचना दी जाएगी कि अगर वे इस निराकरण से संतुष्ट नहीं होते हैं तो शिकायत को और आगे कैसे ले जाएं

15. एक विशिष्ट ग्राहक शिकायत निवारण प्रकोष्ट मुख्य व्यवसाय अधिकारी से संबंद्व है और इसे कंपनी के मुख्य कार्यालय में ग्राहकों से प्राप्त शिकायतों की निवारण प्रक्रिया की मॉनिटरिंग के लिए रखा गया है शिकायतें कंपनी की वेबसाइट पर भी की जा सकती हैं। यहां शिकायतकर्ता को वेबसाइट (आवेदन का फॉर्मेट-सॉफ्ट कॉपी) पर उपलब्ध आवेदन भरना होगा

नाम*	
पता*	
संपर्क नंबर*	
ग्राहक आइडी*	
ऋण खाता संख्या*	
ईमेल आइडी*	
विषय*	
प्रश्न*	

यह भरना आवश्यक है*

16. कंपनी के उधारकर्ता कंपनी के संबंधित अधिकारियों से पूर्व अनुमति लेकर भेंट कर सकते हैं और अपने खाते से जुड़े विषयों के बारे में बातें कर सकते हैं

17. जीआरओ मुख्य व्यवसायिक अधिकारी और वित्त और लेखा प्रमुख से बनी शिकायत निवारण समिति ग्राहकों से प्राप्त शिकायतों की समीक्षा करेगी और इसके निवारण के लिए आवश्यक कदम उठाएगी

18. अगर उधारकर्ता प्राप्त उत्तर से असंतुष्ट है तो वह इसे आगे प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी तक ले जा सकता है

सुश्री श्रुति गोनजाल्विस
प्रबंध निदेशक और मुख्य
कार्यकारी अधिकारी
पंजीकृत कार्यालय
प्रथम तल्ला, 216/सी-12,
पुराना नंबर सी-12,
प्लॉट नंबर 13-बी,
लक्ष्मी नगर
दिल्ली-110092
फोन : 011-43252-1832
कॉरपोरेट कार्यालय
बिल्डिंग संख्या 8,
टावर सी, आठवां तल्ला
डीएलएफ साइबर सिटी
गुरुग्राम-122002
फोन : 0124-4271-750
ई-मेल : ceo@sgrlimitedin

19. अगर उधारकर्ता को कंपनी से 30 दिनों के अंदर तक कोई उत्तर नहीं प्राप्त होता या वह प्राप्त उत्तर से असंतुष्ट रहता है तो उधारकर्ता नेशनल हाउसिंग बैंक (एनएचबी) के शिकायत निवारण प्रकोष्ट में अपनी शिकायत ऑनलाइन वेबसाइट पर दर्ज करा सकता है या एनएचबी को वह शिकायत डाक के जरिये भी निम्नलिखित पते पर भेज सकता है:

नेशनल हाउसिंग बैंक
शिकायत निवारण प्रकोष्ट
नियमन और पर्यवेक्षण विभाग
चौथा तल्ला, कोर 5 ए, इंडिया हैबिटैट सेंटर
लोधी रोड, नई दिल्ली– 110 003
एनएचबी की वेबसाइट शिकायत दर्ज कराने के लिए
लिंक -https://gridsnhbonlineorgin

किसी भी प्रकार के विवाद के समाधान के लिए ऋण समझौता मध्यस्थता का रास्ता अपनाता है।

इस दस्तावेज में दोनों पक्षों के ऋण और सुरक्षा लेन-देन के लिए बने कागजात का संक्षिप्त रूप है इसलिए इस बात पर सहमति है कि ऋण की शर्तों और नियमों के विशद विवरण के लिए दोनों पक्ष ऋण के समझौते सुरक्षा दस्तावेज जो दोनों के बीच समझौते के तहत किये गये हैं उसे देखेंगे

महत्वपूर्ण

1) कृपया इसमें से किसी एक को चुनें

- उधारकर्ता और सभी उधारकर्ताओं ने ऋण के संदर्भ में ऊपर दिये गये सभी नियमों और शर्तों को समझ लिया है

ऋण से जुड़े सभी नियम और शर्तें उधारकर्ता और सह उधारकर्ताओं श्री/श्रीमती/सुश्री के सामने पढ़ी गई हैं और इसे उन्होंने पूरी तरह समझ लिया है

2) इस ऋण को जारी करने के लिए उधारकर्ता और सह उधारकर्ताओं ने इसकी पुष्टि की है कि उन्हें दस्तावेज की एक प्रति मिल गई है

3) ऊपर बताये गये शुल्क और अधिभार जीएसटी और दूसरे सरकारी कर, लेवी आदि के अतिरिक्त हैं इनमें परिवर्तन हो सकते हैं और इसमें परिवर्तन का एकमात्र अधिकार सेवा गृह ऋण लिमिटेड का होगा किसी भी अधिभार में परिवर्तन की जानकारी कंपनी की वेबसाइट– wwwsgrlimitedin पर अपलोड कर दी जाएगी

4) एमआइटीसी का स्थानीय भाषा में संस्करण वेबसाइट– wwwsgrlimitedin पर उपलब्ध है

हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान ऋण के उधारकर्ता और सह उधारकर्ताओं

नाम	हस्ताक्षर

सेवा गृह ऋण लिमिटेड के लिए

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

सेवा गृह ऋण लिमिटेड की शाखा का पता: -

(____)